रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2429] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2017/भाद्र 3, 1939
No. 2429] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2017/BHADRA 3, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2017

का.आ. 2772(अ).— सेवाओं, या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता हैं और आधार किसी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यकता का निवारण करता है।

और जबकि, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (जिसे इसमे इसके पश्चात विभाग कहा गया है) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के अधीन नि:शक्तजन माध्यमिक स्तरीय समावेशी शिक्षा (जिसे इसमे इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है। योजना का उद्देश्य समावेशी एवं सक्षम वातावरण में 14+ से 18+ आयु वर्ग वाले और IXवीं से XIIवीं कक्षा में पढ़ रहे विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालको (जिन्हें इसमे इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना है और यह राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है;

और जबकि, योजना का उद्देश्य प्रारंभिक स्कूलों से उत्तीर्ण एवं सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर पढ़ रहे तथा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) और राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिपक घात, मानसिक मंदता और बहुनि: शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) में यथा परिभाषित एक या अधिक नि:शक्तता वाले सभी फायदाग्राहियों को स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार सक्षम बनाना है।

और जबकि उपर्युक्त स्कीम में छात्र अभिमुखी घटक (एसओसी) के अधीन फायदाग्राहियों को विभिन्न प्रकार के फायदे प्रदान करती है जैसे कि चिकित्सा एवं शैक्षिक मूल्यांकन, पुस्तकें तथा लेखन सामग्री, वर्दियां, शिक्षण-सामग्री, सहायता सेवाएं और प्रति सालाना तीन हजार रूपए की अधिकतम सीमा तक परिवहन भत्ता, रीडर भत्ता के रूप मे नकद फायदे (जिन्हें इसमे इसके पश्चात फायदा कहा गया है।)

और जबकि, उपर्युक्त स्कीम में भारत की समेकित निधि से व्यय किया जाना अंतवर्लित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकीयों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात -

1. (1) कोई व्यक्ति जो "स्कीम" के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन के लिए जाना होगा।

(2) कोई व्यक्ति जो "स्कीम" के अधीन लाभ प्राप्त करने का इच्छुक है, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 30 सितंबर, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट (www.uidai.gov.in) पर उपलब्ध है, पर जा सकते है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016, के विनियम 12 के अनुसार, संबंधित विभाग से जो राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, ऐसे फायदाग्राहियों के लिए जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं देने की अपेक्षा होगी और ऐसे मामले में, जहां किसी संबन्धित ब्लॉक या तालुका या तहसील मे कोई आधार नामांकन केंद्र नहीं है, संबंधित विभाग राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में योजना के कार्यान्वयन के लिए यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वयन करके या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

परंतु, उन बालको के मामलों में, जो अंगुलिया या हाथों की चोट, विकृति, अंगविच्छेदन जैसे कारणों या अन्य सुसंगत कारण से अंगुलियो की छाप देने में असमर्थ हैं, केवल पुतलियों का स्कैन किया जाएगा और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले ऐसे अन्य बालको, जो आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 में विचारित किसी बायोमैट्रिक सूचना देने में असमर्थ हैं, आधार नामांकन के लिए आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 6 के उप-विनियम (2) की निबंधनों में यूआईडीएआई द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

परंतु उस व्यक्ति का आधार समनुदेशित होने तक वह निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने का हकदार होंगे, अर्थात्-

(क) (i) यदि उसने अपना आधार नामांकन करा लिया है, तो उसका या उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप या;

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार आधार नामांकन के लिए दिए गए उसके आवेदन की एक प्रति; और

(ख) (i) समुचित सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र या जन्म रिकार्ड; मतदाता पहचान कार्ड; या (ii) राशन कार्ड; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस कार्ड) या; (v) कोई सरकारी परिवार हकदारी कार्ड; या (vi) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेजः

परंतु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और बाधारहित प्रसुविधाए प्रदान करने के लिए, संबंधित विभाग जो, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, से निम्नलिखित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है, अर्थात:-

(1) स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को आधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत सूचना देकर इसका व्यापक प्रचार किया जायेगा और उन्हें सलाह दी जाए कि वे 30 सितंबर, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्र पर स्वयं को नामांकित कराएं, यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं। उन्हें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि इस स्कीम के अधीन फायदाग्राही ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील जैसे आस पास के क्षेत्रो मे , नामांकन केन्द्रों के उपलब्ध न होने के कारण वे नामांकन कराने में समर्थ नहीं हैं, तो संबंधित विभाग जो राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा, और फायदाग्राही राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विशिष्ट रूप से पदाकिहित संबंध पदधारियों को उनके नाम, पते, मोबाइल संख्या और पैरा-1 के उप-पैरा (3) के तीसरे परंतुक मे यथा विनिर्दिष्ट ब्योरे देकर या इस प्रयोजन के लिए उपबंधित वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत करा सकेगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14-14/2015-आरएमएसए-II]

मनीष गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2017

S.O. 2772(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of School Education and Literacy (hereinafter referred to as the Department) in the Ministry of Human Resource Development, Government of India is administering

Inclusive Education of the Disabled at Secondary Stage (hereinafter referred to as the Scheme) under the Centrally Sponsored Scheme of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA). The Scheme aims to cater to the educational needs of the Children with Special Needs (hereinafter referred to as the beneficiary) in the age group of 14+ to 18+ and studying in classes IX to XII in an inclusive and enabling environment, and is implemented through the State Governments and Union Territory Administrations;

And whereas, the Scheme aims to enable all beneficiaries passing out of the elementary schools and studying at secondary and higher secondary stage in Government, local authority and Government aided schools, and having one or more disabilities as defined under the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996) and the National Trust for Welfare of Persons with Austism, Cerabral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44of 1999) as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid scheme provides for different in-kind benefits to the beneficiaries under the Student Oriented Component (SOC) such as, medical and educational assessment, books and stationary, uniforms, teaching learning materials, support services and cash benefits in the form of transport allowance, reader allowance, etc. with a maximum cap of rupees three thousand per beneficiary per annum (hereinafter together referred to as the benefits);

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing the benefits under the Scheme,who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 30th September, 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per Regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the scheme in the State Governments or Union Territory Administrations is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or Union Territory Administrations shall provide Aadhaar

enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves:

Provided that, in case of children with special needs who are unable to provide fingerprints, owing to reasons such as injury, deformities, amputation of the fingers or hands or any other relevant reason, only Iris scans will be collected and for such other children with special needs who are unable to provide any biometric information contemplated by the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the procedure specified by the UIDAI in terms of sub-regulation (2) of regulation 6 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, shall be followed to carry out enrolment for Aadhaar.

Provided further that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Birth Certificate or Record of birth issued by the appropriate Government authority; or (ii) Ration Card; or (iii) Passport; or (iv) Central Government Health Scheme (CGHS) card; or (v) any Government family entitlement card; or (vi) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration:

Provided also that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government or the Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the scheme in the State Governments or Union Territory Administrations, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th September, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or Union Territory Administrations shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the third proviso to

sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the State Government or the Union Territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 14-14/2015-RMSA.II]

MANEESH GARG, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.26 16:57:27 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.